सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 32040 | दिनांक 12 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर महामारी से नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले के साथ–साथ सम्पर्ण राज्य एवं राष्ट्र भी इस संक्रमण से ग्रसित होकर संघर्षरत हैं। यहां तक की लॉक डाउन के साथ–साथ सख्त निषेधाज्ञा भी लागू की हुई हैं।

भीलवाड़ा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की संवेदनशील स्थिति के मध्यनज़र निकट भविष्य में लम्बी अवधि तक अति सजग एवं सतर्क रहकर संक्रमण पर नियंत्रण, फैलाव से बचाव, सावधानी के संबंध में सतत् कार्य किया जाना आवश्यक होगा।

वर्तमान विकट परिस्थिति में जिले के विभिन्न अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा संक्रमण से संघर्ष में पूर्ण लगन एवं जज्बे सहित उपलब्ध मानव संसाधनो के साथ प्रत्येक स्तर पर अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन किया जा रहा हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे कार्यो एवं विस्तृत कार्ययोजना को **Plan - A** कहा जा सकता हैं।

विदेशो में कोरोना वायरस संक्रमण की भयावहता तथा जिले में उपलब्ध संसाधनो एवं मानव संसाधनो के दृष्टिगत संक्रमण से संघर्ष हेतु निष्पादित किए जा रहे कार्यो एवं विस्तृत कार्ययोजना, **Plan - A** के साथ–साथ **Plan - B** की अंतिम स्तर तक सूक्ष्म तैयारी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं, ताकि भविष्य में संसाधन / मानव संसाधन की कमी के कारण संक्रमण से संघर्ष में किसी प्रकार की बाधा / अवरोध की स्थिति नहीं हो।

आगामी लम्बी अवधि हेतु पूर्ण ऊर्जा एवं शक्ति के साथ कोरोना वायरस संक्रमण संघर्ष के **Plan - B** की तैयारी के कम में आदेश दिये जाते हैं कि –

1.	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में विभाग स्तर पर समीक्षा कर उपलब्ध संसाधन / मानव संसाधन के मध्यनज़र सूक्ष्म प्लान तैयार कर **Plan - A** के अतिरिक्त **Plan - B** में कौन कौन अधिकारी/कार्मिक होगे तथा कौन लीड करेगा, के प्रस्ताव 03 दिवस में पस्तुत करावे। **Plan - A** एवं **Plan - B** के मानव संसाधन पृथक–पृथक होगे।
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा क्वारंटाईन सेन्टर के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
3.	समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने उपखण्ड क्षेत्र में ब्लॉक सभी संबंधित विभागो के साथ समीक्षा कर उपलब्ध संसाधन / मानव संसाधन के मध्यनज़र सूक्ष्म प्लान तैयार कर प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें। प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि **Plan - A** के अतिरिक्त **Plan - B** में कौन कौन अधिकारी/कार्मिक होगे तथा कौन लीड करेगा। **Plan - A** एवं **Plan - B** के मानव संसाधन पृथक–पृथक होगे।

4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओ के संदर्भ में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
5.	प्राचार्य मेडिकल कॉलेज एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओ के संदर्भ में उपरोक्तानुसार संयुक्त प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
6.	जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
7.	महा प्रबन्धक उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा आवश्यक वस्तुओ/सामग्री की निर्बाध आपूर्ति एवं स्टॉक के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
8.	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा फल एवं सब्जी की निर्बाध आपूर्ति एवं स्टॉक के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
9.	संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, भीलवाड़ा पशुओ के संदर्भ में चारा एवं पशु आहार की निर्बाध आपूर्ति एवं स्टॉक के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
10.	प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, भीलवाड़ा वर्तमान में जिले में उपलब्ध खाद्य भण्डारो एवं भविष्य में आवश्यकता के दृष्टिगत खाद्य पदार्थो की निर्बाध आपूर्ति एवं स्टॉक के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
11.	प्रभारी अधिकारी, वॉर रूम प्रभारी भी उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।
12.	प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम भी उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें।

Plan - B मे नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी/कार्मिको को कोरोना वायरस संक्रमण के क्रम में आपके स्तर पर अब तक की गयीं कार्यवाही, भविष्य में अपेक्षित कार्यवाही एवं जिला स्तर से की जा रही कार्यवाही / कार्ययोजना के संबंध में पूर्ण रूप से अवगत कराया जावे।

आदेश की अक्षरशः पालना की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, भीलवाड़ा
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
11. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
12. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा

13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
14. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
15. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
16. श्री राजेश सुवालका, सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा
17. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
18. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
19. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
20. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
21. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
22. महा–प्रबन्धक उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा
23. सचिव कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा
24 संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, भीलवाड़ा
25. प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, भीलवाड़ा
26. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
27. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
28. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
29. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
30. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
31. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
32. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा